# प्रध्य प्रदेश शासन वित्रः विभाग वल्लभ भवन-मन्नालय-भोपाल

# <u>अधिस्चना</u>

भोपाल, दिनाक <del>2.72 अ</del>गस्त, 2015

क्रमांकः एफ 6-1/2015/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्दारा प्रदत्त शक्तियाँ को प्रयोग में ताते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एलडब्दारा, मध्यप्रदेश मिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### <u>संशोधन</u>

उन्ह नियमों में,-

- नियम 38-ख के पश्चात, निम्नतिथित नियम डोइः उत्तर, अर्थात् :-"38-स संतान पातन अवकाश-
  - (1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सहिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी ब्दारा उसके समपूर्ण सेवाकाल के द्वैराज उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतात देखभाल अदकाश स्वीकृत किया जा सकेगा 1
  - (2)अवकाश का अधिकार के रूप में दादा नहीं किया जा उकेगा 1
  - (3)उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, संतान से अभिन्न हैं.-
    - (क) अठारत वर्ष की आयु से कम की अंतान (िधिक रूम से दत्तक संतास को सम्मितित करते हुए); या
    - (छ) सामाजिक नयाय तथा संशक्तिकरण मंत्रालयः भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एम 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 से यथा दिनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली बाईस वर्ष से कम आयु की संतान !
  - (4) उपनियम (1) के अधीन किसी गहिला धासकीय सेवक को संतान देखशाल अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ती के अध्यधीन होगी, अर्थात्:-
    - (क) यह एक केलेंडर वर्ष में तीन बार में अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए उपभोग किया गांग अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा । यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी केलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती कैलेंडर

वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। केलैंडर वर्ष से अभिपेत हैं। जनवरी में प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधिः

- (ख) यह सामान्य रूप में परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया। जाएगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अविध स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अयाधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके जिए अवकाश स्वीकृत किया थया है।
- (5) संतान देखभाल अवकाश की कालाविध के दौरान महिला शासकीय सेवक को, अवकाश बाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेलन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा ।
- (6) संतान देखभात अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा ।
- (7) इस अवकाश का खाला पृथक से संपारित किया जाएगा तथा संबंधित महिला - ... शासकीय, सेवक की सेवा पुसितका में इसकी प्रविष्टि की जाएगी (\*)।
- यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृतत होगा ।

मध्यप्रतेत के राज्यपात के नाम से तथा आदेशानुसार

> राशित -

मध्य प्रदेश शासन, दित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2015

क्रमाकः एक 6-1/2015/तियम/चार प्रतिलिपिः

- । असन के समस्त विभाग
- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, धालियर
- समस्त विभागाध्यक्ष
- 4 समस्त संभागीय आवक्त
- 🤨 समस्त कलेक्टर
- १)ज्याल के संविद्य मध्यप्रदेश सजभवन भोपाल
- 7 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
- तिबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- 9. ਲੀਬਰ, ਸੁਲਵਸੰਤੀ, ਸੁਲਵਸੰਤੀ ਲੀਬਕਾਲਕ, भौगल
- 10 सचिव, लोक संवा आयोग, इंदौर
- ! 1 सचिव , लोक आयुन अध्यप्रदेश, भोपाल
- 12.निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
- 13 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोगाल
- (४ स्टिंब राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 15 र्शजस्ट्रारः, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक त्यायाधिकरण भोपाल/जवलपुर/इंदीर/ग्वालियरः ।
- i 6. महाधियका/ उप 'महाधिवका, 'मध्यप्रदेश' भीपाल/इंदौर/स्वालियर :
- । 7. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-। /2 मध्यप्रदेश ध्वालियर/ भोगाल ।
- 18.अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा पंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 19.व्रपुष्ड सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य द्रशासन विभाग, भोपाल
- 20 आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
- 21 आयुक्त, जनसम्बद्ध संगलनतान, वध्यप्रदेश धोषाय
- 22,अवर सांच्या, सामान्य प्रशासनं विभाग (स्थापना शार अर्थाक्षण शाखा/आंक्रांसापुरा विद्याधिकारे) भक्षताय, भोजन
- 23.49थ सचिव के स्टाफ आफ्रिसर मंत्रालय, भीशल
- 24.समला संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
- 25 राभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
- 26 संयुक्त लंबालक, जनसंपर्क प्रकोच्छ, मंत्रालय, भोपाल
- 27, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कपंचारी कल्याण समित कक्ष-7, प्रशालय, भोपाल
- 28 अत्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्नचारी संगठन / संयो
- ूप सन्ते कोपालय अर्थन्यासी /उप कोपालय अर्थन्यासी
- २() अचालक, वेरात भाषाय निधि एवं बीमा, म.प्र. किसात पथन, भोगता ।
- ी संधरत संभागीय/जिला पेशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
- 32.भाइं फाई∺

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अप्रीप्त ।

(अजय चीयं) उस्सविव

क्य सम्बद्ध क्याप्रदेश शासन, विस्त विभाग

## Government of Madl ya Pradesh Finance Department Mantralaya, Bhopel

# NOTIFICATION

Bhopal, dated ₹ Augost, 2015.

No. F 6-1/2015/Rufe/LV, In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Prodesh Civil Services (Leave) Roles, 1977, namely:-

### AMENDMENT

In the said rules,-

After rule 38(b), the following rule shall be added, namely: "38(C) Child Care Leave.-

- (1) Subject to the provisions of this rate, a woman Government servant may be granted child care leave by the competent authority for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children.
- (2) The leave cannot be claimed as a matter of right
- (3) For the purposes of sub-rule (1), "child" megani-
  - (a) a child below the age of eighteen year this listing legally belopied child);
  - (b) a child below the age of twenty two years with a minimum disability of forty percent as specified in Notification No. 16-18/97-N 1.1, dated the 1st June, 2001. Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment.
- (4) Grant of child care leave to a woman government servant under sub-rule(1) shall be subject to the following conditions, namely (-
  - (a) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year. The feave availed even for a day, shall be counted as one spell. If the period of leave sanctioned cuntinues into the next calendar year also then the spell shall be counted adjacent the year in which the leave was applied or in which major part of the leave applied falls. Calendar year means the period commencing from 1st January in 31st December of the year.
  - (b) it shall ordinarily not be sanctioned during the probation period. However, in special calcumstance, if the leave is sanctioned during the

probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted

During the period of child care leave, the woman government tors ant shall be not leave salary equal to the pay drawn manediately before proceeding on leave.

- (6) Child care leave may be combined with leave of any other kind.
- (7) The leave account shall be maintained separately and entry shall be made in the service book of the concerned women government servent.
- 2. This amendation shall come into force from the date of its publication in the Modhya Pratiesh Gazette.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh

Milandone Mukerice)

Secretary.

To Government of Madhya Pradesh Finance Department







## मध्यप्रदेश शासन

# GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

(Department of Planning Economics & Statistics) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

### DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

अन्से प्रमाण-पत्र

#### BIRTH CERTIFICATE

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 / 17 तथा मध्यप्रदेश जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,1999 के नियम 8 / 13 के अन्तर्गत जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Birth and Death Act. 1969 and Rule 8/13 of the Madhya Pradesh Registration of Births and Death Rules, 1999)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निक्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र). अगर निगम, मीपाल तहसील हुजुर जिला भीपाल राज्य मध्यप्रदेश (भारत) के रजिस्टर में उल्लेखित है। This is to certify that following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area / local body) Municipal Corporation, Bhopal of tahail Huzur of District Bhopal of State Madhya Pradesh (INDIA).

नाम / Name - आर्यन सोनकर / Aaryan Sonkar

लिंग / Sex - पुरुष / Male . अन्म तिथि / Date of Birth - 12.09.2010 अन्म स्थान / Place of Birth - भोपास / Bhopal .

माता का नाम / Name of Mother - रींकू सोनकर / Rinku Sonkar .

पिता का नाम / Name of Father - सन्दीप कुमार सोनकर / Sandeep Kumar Sonkar.

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता / Address of parents at the time of birth of the child -111 ए प्रगति नगर बरखेड़ा पठानी, भोपाल,म०प्र०./ 111 A Pragati Nagar Barkhedha Pathani. Bhopat, M.P.

पंजीकरण संख्या / Registration No. 031613007004

माता पिता का स्थायी पता / Permanent address of parents -11। ए प्रगति नगर बरखेडा पठानी, मोपाल,म०प्र०./ III A Pragati Nagar Barkhedha Pathani.

Bhopal, M.P.

पंजीकरण दिनांक / Date of Registration - 22.02.2013

टिप्पणी / Remark (if any ) - व्यदेश कर ; 2563/21.2.2013 / Order No: 2563/21.2.2013 .

षर्मे / Home .

जारी करने की तिथित Date of sissue 02.2013

Amicinal Corporation

प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authorit

मोहर / Seal

" Ensure registration of every birth and death /प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुतिचितः करें। "

प्रारूप क्रमांक-5 (नियम-8 देखिएँ)



# मध्यप्रदेश शासन (योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) आर्थिक एवं सांख्यिकी सेनालनालय

जन्म प्रमाण-पत्र (धारा 12/17 के अधीत कारी किया गया)

आदेश पत्र

जन्म सूचना क्र० 🚼 213454

अने क : 10283/2009(1)

यह प्रमासित किया अरता है कि निम्नलिखित जानकारी मूल जन्म अभिलेख से जो

(रजिस्ट्रीकरण इकाई का नाम) (स्थानीय क्षेत्र)

नगर निगम

तहसील

**राज्**र

जिला

भोपाल

राज्य

'नाम

आदित्य, सोनकर

के रजिस्टर से लि पायों है : सिंग

युरूष

जन्भ दिनांक

13-01-2006

जन्म, स्थान

भोपाल

षिता का नाम

संदीप नुसार सानकर

माता का नाम

रिंकू सोनकर

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

10283

रविस्ट्रीकरण दिनाक

20-04-2009

आदेश

70200

दिनांक :

सम्बद्धार (४३%-मृत्यु)

र्विस्टार (जन्म मृत्यु स्वस्थित क्षिक्तारी नकर पालिक हिंगुर्व भोकतमुहर

आवक क्र

Collectrate : Samadhan Eak Dh